क्रम संख्या–92 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

72
3/5

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0
चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 169/XXXVI(3)/2013/21(1)/2013
देहरादून, 05 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013"** पर दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम 05 संख्या वर्ष 2005) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में :––

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :–

"(ख) "अनुमोदित संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षा की संस्था से है;"

(दो) खण्ड (ण) को निरसित कर दिया गया समझा जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :––

"(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को होगी।"

धारा 6 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 6 में :–

(एक) खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :––

"(क) तकनीकी शिक्षा में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान प्रदान कर और उनका उन्नयन तथा उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति के लिए उद्यमिता और सहायक वातावरण का निर्माण करना;"

(दो) खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—

"(ज) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और समुदायों में तकनीकी शिक्षा की उन्नति के लिए प्राविधान करना;"

धारा 23 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—

"(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्रियाकलापों के प्रभावी समन्वय हेतु, इस विश्वविद्यालय के विशेषतः अध्यापन, अनुसन्धान, शिक्षा के विस्तार एवं अन्य समान कार्यों के संबंध में और विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं वित्तीय क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु राज्य सरकार शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु एक परिषद् का गठन करेगी, जो "तकनीकी शिक्षा हेतु राज्य समन्वय परिषद्" कहलायेगी।"

धारा 30 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :—

"(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सम्बन्धित विभिन्न नियामक परिषदों के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किए गये किसी विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन युक्तियुक्त समय में करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी।"

व्यावृत्ति

7. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।